न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

अपील सं. 11/2024 दर्ज दिनांक–23.08.2024
जीएमएस नं. –2024/137

राजेन्द्र पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
– अपीलान्ट

बनाम

1. सुभाष पुत्र हरषा
2. गोपाल पुत्र फूलाराम समस्त जाति मेघवाल निवासी गिरधरपुरा शाहपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

–रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलार्थी : – श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील रेस्पोडेन्ट :– श्री संदीप सैनी

अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत गिरधरपुरा शाहपुरा द्वारा नामान्तकरण सं. 2520 दिनांक 07.08.2024

अ0 धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 09-12-24

अपीलान्ट द्वारा अपील प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, ग्राम गिरधरपुरा शाहपुरा पटवार हल्का टोंक छिलरी के ख.नं. 1020/483, 1091/588, 550, 551, 570, कुल किता 5 रकबा 1.97 है0 का नामान्तकरण बावजूद अस्थाई निषेधज्ञा आदेश मु.नं. 10/2028 दिनांक 18.01.2023 के नामान्तकरण सं. 2520 दिनांक 07.08.2024 को भरा जाकर तस्दिक किया गया है,जो विधिविरूद्व होने से खारिज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि गई तथा तलबी रेस्पोडेन्ट की जारी की गई। रेस्पोडेन्ट की और से वकील श्री संदीप सैनी उपस्थित हुये तथा बहस का निवेदन किया।

बहस वकील उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपने अपील प्रा. पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करवाते हुये कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा जिस अस्थाई निषेधज्ञा आदेश मु.नं. 10/2028 दिनांक 18.01.2023 के आदेश का हवाला देकर अपील प्रस्तुत की है, उक्त पत्रावली में पारित आदेश 24.07.2024 द्वारा उक्त आदेश को पूर्व मे ही वेंकट/अपास्त कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील उक्त आदेश को छुपाकर पेश की हैं। इसलिये नामन्तकरण सं. 2520 दिनांक 07.08.2024 में पारित आदेश विधिसम्मत है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रकरण में जो नामान्तकरण आदेश पारित किया गया है वह अस्थाई निषेधज्ञा आदेश के न्यायालय द्वारा वेंकट/अपास्त किये जाने के पश्चात् किया गया है जो मुताबिक पत्रावली पर पेश दस्तावेजों की नकल से साबित है।

लिहाजा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बेबुनियाद पेश की गई जो पोषणीय व न्यायोचित नही होने से खारिज की जाती है। वकील अपीलान्ट को हिदायत दी गई कि भविष्य में बिना ठोस आधार के वाद/प्रा. पत्र पेश नही किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 09-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू